108 N

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 050519

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 26.12.2012 को दीपककुमार यादव पुत्र श्री बच्चू सिंह निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ट्रस्ट का नाम– चौधरी बच्चू सिंह चैरीटेबिल ट्रस्ट।
2. ट्रस्ट का पता – मुहल्ला वंशीगौहरा शहर मैनपुरी।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र – उत्तर प्रदेश /सम्पूर्ण भारत वर्ष।
   शाखा कार्यालय – ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकतीं है।
4. ट्रस्ट में लगाया गया धन – ट्रस्ट में लगाया गया धन 10000/– (दस हजार रूपया) नगद धनराशि की दीपककुमार यादव पुत्र श्री बच्चू सिंह निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गयीं है। उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास वर्तमान दशा में अन्य चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

(280)

5. ट्रस्ट के तत्व :– भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आवद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन तत्वों पर आधारित है ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है । आभार

दीपक यादव

1090 / 24.12.12 दीप कुमार पुत्र श्री बच्चू सिंह नि० [illegible]
शहर व जि० फिरोजाबाद

17 DEC 2012

कुमार स्टाम्प [illegible]
ला० नं० 106
[illegible] परिसर, [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
रु. 100
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BD 050520

का सम्पत्ति से जुडा होना स्वामित्व से आबद्व होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है। और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक हैं ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्व करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे :–

1. दीपककुमार पुत्र श्री बच्चू सिंह — मुख्यट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

2. मीनादेवी पत्नी श्री हरीशंकर
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद — ट्रस्टी/सदस्य

3. सीमा पत्नी श्री चन्द्रभान — ट्रस्टी/सदस्य
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

4. सूरजसिंह पुत्र श्री बच्चूसिंह — ट्रस्टी/सदस्य
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

5. बच्चू सिंह पुत्र श्री मेवाराम — ट्रस्टी/सदस्य
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

दीपक यादव

17 DEC 2012

1090
24-12-12

106

२७०२१

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 660601

5. ट्रस्ट के उददेश्य –

1. शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई[illegible]स्कूल एवं इण्टरमीडियट तथा आवश्यकतानुसार महाविद्यालयों की स्थापना करना, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी शिक्षा व संस्कृति शिक्षा पद्वति द्वारा विद्यालय संचालन करना एवं व्यवस्था करना एवं अन्य का ज्ञान उपलब्ध कराना।
2. समय–समय पर अन्य समाज सेवी जनहितकारी कार्य करना ,समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगो को जागरूक करना। एवं समय–समय पर निशुल्क जागरूकता शिवरों का आयोजन करना।
3. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा निजी व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों से अनुदान/दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
4. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्वल वर्ग नागरिकों ,वृद्विजनों , विधवा/अनाथ महिलाओं , निराश्रित अनाथ बच्चों ,अपंग लोगो के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान /ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यन्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।
5. गरीब एवं असहाय जरूरतमन्द लोगो के लिये अस्पताल/नर्सिंगहोम आदि खोलना तथा उनको चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना।
6. देश– विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वालरी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना एवं संस्थाओं के विकास हेतु पत्र–पत्रिकाओं का निशुल्क प्रकाशन कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना।
7. युवक– युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगार परख शिक्षा प्रदान करना

दीपक यादव

क्र० सं० 1090/24.12.12

24 DEC 2012

सतीश कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 106
कलक्ट्रेट परिसर, चित्रकूट

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 660602

8. समान उददेश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
9. मानव कल्याण हेतु जनहित के कार्य करना ।
10. जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैंदा करना तथा शिक्षा का प्रचार -- प्रसार करना तथा विद्यालयों/ उच्च शिक्षा संस्थानों / डिग्री कॉलेजों/ इन्जी0/ तकनीकी एवं कृषि शिक्षा शिक्षक /प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना , कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्वति से करना तथा अस्पताल आदि, उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना है।
11. समय समय पर अन्य समाज सेवी जनहितकारी कार्य करना ।
12. संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा निजी व्यक्तियों / जनप्रतिनिधियों से अनुदान /दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
13. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्वल वर्ग नागरिकों, वृद्विजनों , विधवा/ अनाथ महिलाओं,निराश्रित अनाथ बच्चों , अपंग लोगो के कल्याण
14. हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान /ऋण से चलायीं जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यन्वित कर नागरिकों का सर्वांगीय विकास करना।
15. ट्रस्ट के उददेश्यों में धन लाभ निहत नहीं है।
6. ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य :-ट्रस्ट के जन सामान्य द्वारा एवं ट्ररिटयों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गयें खातों में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी। जो जनहित तथा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी उक्त धनराशि के लेन–देन करने (बैंक खाता ऑपरेट के लिये) मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से ही बैंक से धन निकाला जायेगा।

दीपक यादव

1090 / 24-12-12

24 DEC 2012

कुमार स्टाम्प

ला० नं० 106

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 660603

1. यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय / महाविद्यालय/अन्य संस्थान की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पतियों एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। और उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर मुख्य ट्रस्टी नं0 1 दीपककुमार पुत्र श्री बच्चू सिंह और जो भी सम्पत्ति क्रय/विक्रय की जायेगी उसका बैनामा के रूप में पंजीकृत कराया जायेगा।
2. यदि किसी कारण वश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है। ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी। और प्रबन्धक/सचिव को अधिकार होगा कि विद्यालय/ महाविद्यालय अथवा अन्य कार्य हेतु ट्रस्ट द्वारा कय की गयीं सम्पत्ति का विकय आदि करने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव को होगा यदि कोई संस्था किसी स्थान पर नही चल पाती है तो अध्यक्ष को एक सप्ताह पूर्व प्रबन्धक/सचिव तथा अन्य ट्रस्टीगण को लिखित सूचना देगा तथा सभी ट्रस्टीगणों से ट्रस्ट द्वारा क्रय की गयीं सम्पत्ति विकय आदि हेतु सभी ट्रस्टीगण से लिखित सहमति प्राप्त करके प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट द्वारा कय की गयीं सम्पत्ति का विकय करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा विकय से जो धन प्राप्त होगा उस धनराशि से अन्यन्त कहीं कोई भी संस्था चलाने हेतु भूमि कय की जायेगी। तथा ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव द्वारा कय की गयीं सम्पत्ति पर यदि कोई संस्था आगे नहीं चलायीं जाती है तो प्रबन्धक/सचिव उपरोक्त ट्रस्ट में कय की गयीं सम्पत्ति को विकय करके विकय से अर्जित धनराशि का सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध/सचिव को होगा तथा अन्य सदस्यों को कोई ऐतराज नहीं होगा। तथा ट्रस्ट द्वारा क्रय की गयीं सम्पत्ति पर प्रबन्धक/सचिव उक्त भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयकृति बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते है। जिसकी अदायगी प्रबन्धक/सचिव करेगें।

दीपक यादव

1090 59
24/12/12

-09/0

24 DEC 2012

106

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 660604

8. ट्रस्टियों की नियुक्ति :–

सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेगे मुख्य ट्रस्टी नं0 1 मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा नामित अथवा उनका उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का सबसे बडा पुत्र अथवा दूसरे नम्बर का पुत्र व सबसे बडी पुत्री ट्रस्टी होंगी तथा आवश्कयता पडने पर ट्रस्टीयों की संख्या घटाई व बढाई जा सकती है जो इस ट्रस्ट का अंग माना जायेगा। तथा ट्रस्टीयों की संख्या घटाने/बढाने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी नं0 1 प्रबन्धक/सचिव को होगा।

9. संचालित संस्थानों की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य :–

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/ महाविद्यालय/ अन्य संस्थान जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे की प्रबन्धन समितियों का मुख्य ट्रस्टी करेगा।

10. ट्रस्ट प्रमुख :–

श्री [illegible] इस ट्रस्ट के प्रबन्धक /सचिव होगें एवं इनके मृत्योपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी/प्रमुख ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी होगें। उत्तराधिकारी में मुख्य ट्रस्टी का सबसे बडा पुत्र अथवा दूसरे नम्बर का पुत्र /पुत्र न होने पर सबसे बडी पुत्री मुख्य ट्रस्टी / पदाधिकारी / प्रमुख ट्रस्टी होगीं।

दीपक यादव

क्र० स० 1090 / 241212 57

जिला कोषागार
मैनपुरी-09/0
24 DEC 2012
[illegible]
मैनपुरी (उ०प्र०)

रवीन्द्र कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० सं० 106

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 660605

11. ट्रस्टियों की संख्या :–

ट्रस्टियों की संख्या मुख्य ट्रस्टियों को मिलाकर 7 होगी। जिसमें मुख्य ट्रस्टिगों के सहित निम्न ट्रस्टी होगें।

1. दीपककुमार पुत्र श्री बच्चू सिंह — प्रबन्धक/सचिव
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

2. मीनादेवी पत्नी श्री हरीशंकर — अध्यक्ष
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

3. सीमा पत्नी श्री चन्द्रमान — ट्रस्टी/सदस्य
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

4. सूरजसिंह पुत्र श्री बच्चूसिंह — ट्रस्टी/सदस्य
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

5. बच्चू सिंह पुत्र श्री मेधाराम — ट्रस्टी/सदस्य
निवासी सीता नगर नगला भाऊ शहर व जिला फिरोजाबाद

दीपक यादव

क्र०सं० 1090 / 24-12-12 [illegible]

जिला कोषागार
मैनपुरी-09/0
24 DEC 2012
रोकड़िया / मुख्यरोकड़िया
मैनपुरी (उ०प्र०)

[illegible] कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 108
कलक्ट्रेट परिसर, मैनपुरी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 660606

12. ट्रस्ट की बैठक:–

ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (7 दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैंठक किसी भी समय 24 घण्टें पहले लिखित अथवा दूरभाष द्वारा सूचना देकर बुलायी जा सकती है बैठक अध्यक्ष एवं प्रबन्धक की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

13. गणपूर्ति:– बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है।

14. ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. अध्यक्ष– 1. ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष / प्रबन्धक सचिव ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा अध्यक्षता करेगें।

2. मीटिंग बुलाने के लियें प्रबन्धक को निर्देश देना ।

15. ट्रस्ट में ट्रस्टीयों व अन्य ट्रस्टीयों का चुनाव :–

इस ट्रस्ट का चुनाव प्रत्येक पॉच वर्ष वाद होता रहेगा जिसमें ट्रस्टीयों की संख्या ५। पद को घटया/बढाया जा सकता है और नये ट्रस्टीयों का चयन भी किया जा सकता है जिसकी सूचना अध्यक्ष /प्रबन्धक द्वारा एक माह पहले सभी पदाधिकारीयों व अन्य सदस्यों को लिखित या दूरभाष द्वारा देगा तथा अन्य ट्रस्टीयों /सदस्यों को कोई ऐतराज नहीं होगा और न ही कोई दावा विवाद किसी भी अदालत में पेश नहीं करेगा अध्यक्ष/प्रबन्धक के अनुसार होगा।

2. प्रबन्धक/ सचिव :– 1. ट्रस्ट की ओर से समस्त पत्राचार करना . मीटिंग बुलाना, तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना , मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना ।

2. ट्रस्ट के कार्यकमों की रूप रेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।

दीपक यादव

श्र० सं० 1090/24.12.12 द/59

जिला कोषागार
मैनपुरी-09/0
24 DEC 2012

सतीश कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 100
कलक्ट्रेट परिसर, मैनपुरी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 660607

3. ट्रस्ट के हित में दान , चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था कोष में जमा कराना ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देख भाल करना ।

4. दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना ट्रस्ट के सभी अभिलेखों का समय समय पर निरीक्षण कराना ।

5. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति एवं वादों की पैरवी करना।

6. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैंको , ड्राफ्टों बन्धक विलेखों, विल वाउचर पर संयुक्त रूप से प्रबन्धक के हस्ताक्षर करना ।

16. लेखा परीक्षक :–ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टियों के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्ति किया जा सकेगाएवं मुख्य ट्रस्टियें द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया भी जा सकेगा ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उददेश्यों के प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाव किताव का बरावर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट
आदि करवायेगा संस्था के आय व्यय वही पत्रो की सत्र समाप्ती पर जाँच हेतु मुख्य ट्रस्टीगण के समक्ष प्रस्तुत करना।

17. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन :–

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लियें प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्ही ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मुख्य ट्रस्टीगण चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगें।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों / महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होगें।

दीपक यादव

आ० नं० 1090 [illegible]
24-12-12

24 DEC 2012

[illegible] कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 106
[illegible] परिसर, मेरठ

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 660608

3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों / महाविद्यालयें के संचालन के लिये प्रबन्ध समिति का गठन मुख्य ट्रस्टी व अन्य 6 ट्रस्टी मिलकर करेंगे। प्रबन्धक समिति एवं उसके पदाधिकारियों का चयन इन्ही 6 ट्रस्टियों मे से होगा अर्थात ट्रस्ट द्वारा संचालित हर विद्यालय/ महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति में ट्रस्ट के 6 ट्रस्टी ही ट्रस्टी होने के नाते प्रबन्ध समितियों के सदस्य व पदाधिकारी होंगे।

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय में 1 मुख्य ट्रस्टी ही पदाधिकारी व सदस्य होंगे जिसमें पदाधिकारियों का चयन मुख्य ट्रस्टी नं0 1 करेगा संचालित संस्थान / महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी होगें ।

1. अध्यक्ष	एक
2. प्रबन्धक/सचिव	एक
3. उपप्रबन्धक/उपसचिव	एक
4. कोषाध्यक्ष	एक

व अन्य तीन ट्रस्टी

दीपक यादव

क्र०सं० 1090 / 24-12-12

दीपक

संचित कुमार स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस सं० 106
कलक्ट्रेट परिसर, मैनपुरी

24 DEC 2012

न्यास पत्र

10,000.00	100.00	40	140.00	2,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री दीपक कुमार मुख्यट्रस्टी

दीपक यादव

पुत्र श्री बच्चू सिंह

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी सीतानगर नगला भाऊ शहर फिरोजाबाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/12/2012 समय 2:58PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक, सदर
मैनपुरी
26/12/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

दीपक यादव

श्री दीपक कुमार मुख्यट्रस्टी
पुत्र श्री बच्चू सिंह
पेशा व्यापार
निवासी सीतानगर नगला भाऊ शहर फिरोजाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री चरन सिंह स्टाम्प विक्रेता

पेशा व्यापार

निवासी कलक्ट्रेट परिसर मैनपुरी

व श्री सर्वेश कुमार यादव वसीका नवीस

पेशा दस्तावेज लेखक

निवासी कलक्ट्रेट परिसर मैनपुरी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक, सदर
मैनपुरी
26/12/2012

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 660609

चौधरी बच्चू सिंह चैरीटेबिल ट्रस्ट का गठन दिनांक 23.10.2012 दिन मंगलवार के दिन एवं इस ट्रस्ट डीड की रजिस्ट्री दिनांक 26.12.2012 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिये किया गया है ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/ डिग्री कॉलेजों का संचालन किया जाना ,वृद्धों, निर्बलों , असहायें, विकलांगों परित्यक्ता, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना , रोगी आदि रोग के निर्वाण हेतु तत्पर्ता दिखाना व चिकित्सालय की स्थापना करना ,व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्वार करने, निर्धन, कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान आदि देने एवं इसका उपयोग अन्य सभी गैर लाभकारी कार्यो के लियें किया जायेगा । का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उददेश्य होगा ।

दीपक यादव

24 DEC 2012

न्यासी

Registration No.: 108 Year : 2,012 Book No. 4

0101 दीपक कुमार मुख्यट्रस्टी

बप्पू सिंह

सीतानगर नगला भाऊ शहर फिरोजाबाद

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | भारत | FIFTY RUPEES

रु.50 | INDIA | Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 660610

अतः यह ट्रस्ट डींड मुख्यट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखायें बिना किसी नाजायज दवाव के खुशी व पूर्ण होश हवास में परिवारीजनो से सलाह मशवरा करके यह ट्रस्ट टींड लिख दीं है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। इति तारीख तहरीर 26.12.2012 ई0 मसौदाकर्ता सर्वेश कुमार बसीका नवीस कलैक्ट्रेट परिसर मैनपुरी

दीपक यादव

बैनामा लेखक का नाम सर्वेश कुमार
अनुज्ञप्ति सं० 7/1000
तक विधिमान
शुल्क प्राप्त किया।
ह० बैनामा लेखक

गवाह :–

1. चरन सिंह स्टाम्प विक्रेता कलैक्ट्रेट परिसर मैनपुरी।

2. सर्वेशकुमार यादव बैनामा लेखक कलैक्ट्रेट परिसर मैनपुरी।

आ०फा० 1090 / 24-12-12 नं० 57

24 DEC 2012

[illegible] कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 106
कलक्ट्रेट परिसर, मैनपुरी

आज दिनांक **26/12/2012** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **45**

पृष्ठ सं. **337** से **360** पर क्रमांक **108**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार **श्रीवास्तव**
उप-निबन्धक, सदर
मैनपुरी
26/12/2012